JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax: +91-612-250 4960, Website:www.brlp.in
Ref. No:- BRLPS/Adv./03/07/1072 Date:- 17.07.2015

कार्यालय आदेश

असमायोजित अग्रिम राशि की स्थिति की समीक्षा के कम में यह पाया गया है कि जीविका के राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तरीय कर्मीयों के द्वारा कार्यक्रम संचालन/यात्रा व्यय से सम्बंधित लिए गए अग्रिम के विरूद्ध अभिश्रव/विपत्र इत्यादि समय से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मियों के नाम अग्रिम की राशि लंबी अवधि तक असमायोजित रहती है तथा इसके विरूद्ध व्यय का लेखांकन समय पर नही हो पाता है। असमायोजित अग्रिम की स्थिति पर पूर्व के वर्षो में अंकेक्षको की प्रतिकुल टिप्पणीयाँ भी प्राप्त हुई है। राज्य कार्यालय के द्वारा समायोजन में तीव्रता लाने हेतु प्रयास किए जा रहे है तथा इसमें त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

जीविका कर्मियों के नाम लंबित अग्रिम के समायोजन प्रकियाओं के नियमन एवं इसे प्रभावी बनाने हेतु निम्नांकित दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे है:–

क) अग्रिम स्वीकृति हेतु आवेदन में अग्रिम का प्रायोजन एवं इस पर अनुमानित व्यय की पूर्ण सूचना दिया जाना होगा तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमानित व्यय की जाँच कर अग्रिम भुगतान हेतु स्वीकृति दी जायेगी।

ख) अग्रिम स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव देने के पूर्व लेखा शाखा से पूर्व से असमायोजित अग्रिम की स्थिति अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

ग) प्रत्येक माह में भुगतान की गई यात्रा अग्रिम की राशि अगले माह में/तक पूर्णतः समायोजित नहीं होने कि स्थिति में असमायोजित राशि अगले माह के वेतन से एक मुश्त स्वतः कटौती कर ली जायेगी।

घ) कार्यकम अग्रिम की राशि के समायोजनार्थ व्यय विवरणी/अभिश्रव आदि कार्यकम समाप्ति के 10 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक माह में भुगतान की गई अग्रिम की राशि अगले माह के 25 तारीख तक पूर्ण रूप से समायोजित नहीं होती तो असमायोजित राशि अगले माह के वेतन से कटौती योग्य होगी।

ड.) प्रत्येक माह वेतन से अग्रिम कटौती बकाये अग्रिम राशि की सूचना सम्बंधित कर्मियों को दी जायेगी।

च) दिनांक 30.06.2015 तक असमायोजित अग्रिम की कटौती भी उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार माह जुलाई 2015 से प्रभावी होगी।

छ) यदि अग्रिम प्राप्त करने के उपरान्त किसी कारण से उपयोग नहीं की जाती तो पूर्ण अग्रिम की एक–मुश्त राशि अविलम्ब वापस किया जाना होगा। ऐसी स्थिति में सम्बंधित कर्मी द्वारा अग्रिम के उपयोग नहीं किये जाने का कारण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

ज) प्रत्येक अग्रिम की राशि उसी प्रायोजनार्थ व्यय होगी जिस हेतु इसकी स्वीकृति दी गई थी। एक अग्रिम की अव्यवहृत राशि किसी अन्य प्रायोजनार्थ व्यय बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये नहीं की जा सकेगी।

सभी जिला/प्रखण्ड एवं राज्य स्तरीय कार्यालय में उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लंबित अग्रिमों का ससमय समायोजन की जायेगी।

ह0

(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपिः

1. सभी राज्य परियोजना प्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक/परियोजना समन्वयक/राज्य वित्त प्रबन्धक/वित्त पदाधिकारी
2. निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशासी पदाधिकारी
3. सभी जिला परियोजना प्रबन्धक/वित्त प्रबन्धक/प्रबन्धक/प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक
4. सूचना पट्

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

17/7/15

(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी